

282

**RAJASTHAN FINANCIAL CORPORATION  
(FR-ARRC)**

Udyog Bhawan,  
Tilak Marg,  
JAIPUR

Ref.No.RFC/HO/FR-ARRC/ 1926

19<sup>th</sup> Jan., 2006


**CIRCULAR**  
(ARRC No. 120)

**Reg : Revision in terms and conditions of sale**

Vide Circular ARRC No.114 dated 19.12.2005, a format of terms and conditions of sale was circulated. It has been observed that some of the units/assets under possession are being sold out on **CASH DOWN BASIS**, therefore, it is necessary to have a format of terms and conditions of sale in such cases.

Accordingly, a format of terms and conditions of **Sale made on Cash Down Basis** has been devised, which is appended herewith.

All concerned are advised to make a note of above and make use of the revised format.

  
( Karni Singh Rathore )  
Chairman & Managing Director

Encl: As above

cc to :

1. All ROs/BOs/SOs
2. DGM (A&I) WZ, Ajmer
3. Standard Circulation at HO

## राजस्थान वित्त निगम

मुख्यालय/शाखा कार्यालय-----

- (अ) इकाई का नाम किसकी  
परिसम्पत्तियों खरीदने  
का प्रस्ताव है ;
- (ब) परिसम्पत्ति का विवरण ;
- (स) निविदा की तिथि ;

### निविदा की शर्तें (नकद भुगतान पर)

1. जीतायी में भाग लेने वाले व्यक्ति को निर्धारित धरोहर राशि के रूप में नकद/डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक/पे-आर्डर के रूप में जमा कराना होगा ।
2. इकाई की परिसम्पत्तियां "जहां है जैसी हैं" की स्थिति में बेची जायेंगी ।
3. निविदाकर्ता का परिसम्पत्ति खरीदने का यह प्रस्ताव नकद आधार पर है ।
4. किसी भी निविदा को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार निगम के पास सुरक्षित रहेगा ।
5. प्रेषा के पक्ष में निविदा स्वीकृत होने की दशा में जमा "धरोहर राशि" को समायोजित करते हुए बिक्री स्वीकृत होने के 15 दिवस के अन्दर शेष समस्त बिक्री राशि जमा करवानी होगी, अन्यथा पूर्व में जमा कराई गई समस्त राशि जब्त की जा सकती है ।
6. निविदा स्वीकार करने के 30 दिन के अन्दर खरीदार को विफल करार निष्पादित करना होगा व परिसम्पत्तियों का कब्जा लेना होगा तथा विक्रय करार के निष्पादन का समस्त खर्चा केला को वहन करना होगा अन्यथा पूर्व में जमा कराई गई समस्त राशि बिना किसी पूर्व सूचना के जब्त की जा सकती है ।
7. खरीदार को अपनी इकाई में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को राज्य सरकार की नीति के अनुरूप रोजगार उपलब्ध कराना होगा ।

8. राज्य सरकार के विभाग यथा- विद्युत वितरण कम्पनी, वाणिज्यिक कर विभाग, यातायात विभाग, भूमि एवं भवन कर, राज्य एवार्डिंग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं उद्योग विभाग की बकाया राशि की जिम्मेदारी क्रेता की नहीं होगी ।
9. खरीदार को सैको लि० की बकाया राशि जमा करानी होगी । इस बकाया राशि की जानकारी संबंधित शाखा पबंधक से प्राप्त की जा सकती है ।
10. भूमि एवं भवन के क्रेता को विक्रय संबंधी दस्तावेजों का निष्पादन राजस्थान स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन एक्ट के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित स्टाम्प शुल्क जमा करवाकर करना होगा तथा रजिस्ट्रेशन का काम भी क्रेता को वहन करने होंगे जो कि उपर्युक्त राशि (विक्रय राशि) के अतिरिक्त होंगे ।
11. क्रेता इस इकाई के भूमि एवं भवन में कोई प्रदूषण फैलाने वाली इकाई लगाना चाहे तो उसे ऐसा करने से पूर्व राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रक विभागक मण्डल से पूर्वानुमति प्राप्त करनी होगी ।
12. भूमि की लीज होल्ड अधिकार शेष बची हुई अवधि के लिए हस्तांतरित होगी ।
13. क्रेता को अपनी अपनी साख के बारे में निगरानी संरक्षित के लिये वांछित सूचना राशपतियों पर कब्जा लेने के पूर्व/क्रेता के पूर्व देनी होगी ।
14. यदि क्रेता विक्रय करार का निष्पादन किसी फर्मा, साझेदारी या कम्पनी के नाम करवाना चाहे तो ऐसी अवस्था में अनुमति के लिये क्रेता को फर्मा/कम्पनी में अपना हिस्सा 50 प्रतिशत से अधिक रखना होगा और सभी साझेदारों/निदेशकों को साख के बारे में समस्त वांछित सूचना देनी होगी ।

1.5. अन्य शर्तें

नोट :- जैसे/हमने जीलाजी की सभी शर्तें अतीति पक एवं समझ ली है और जीलाजी की सभी शर्तें मुझे/हमें मंजूर है ।

जीलाजी में भाग लेने वाले निविदाकर्ता व्यक्तियों के नाम एवं हस्ताक्षर

क्रमांक	निविदाकर्ता	हस्ताक्षर
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

जीलाजी समिति के सदस्य

क्रमांक	नाम मध्य पदनाम	हस्ताक्षर
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		